



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-22/2017- 490

दिनांक :- 24.06.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/देवघर वन प्रमंडल, देवघर/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण एवं गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल **रु0 119.790 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-36/2017 खण्ड-II-46/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक-27.02.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0 बजट-25/2020-11/आ0 व0प0 दिनांक-01.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 119.790 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार रुपये)** मात्र मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110259010103	112.903
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110259010323	6.887
कुल :-		119.790

*(Handwritten signature)*

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) एवं 1(ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या- 19S24060110259010103 तथा 19S24060110259010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।



13. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।



(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2017-490 दिनांक-24.06.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/पलामू, मेदिनीनगर/दुमका/हजारीबाग/बोकारो/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/मेदिनीनगर/दुमका/देवघर/बोकारो/गिरिडीह/जमशेदपुर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2017-490 दिनांक-24.06.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची/गुमला/सिमडेगा/लातेहार/पाकुड़/गोड्डा/जामताड़ा/देवघर/दुमका/हजारीबाग/बोकारो/गिरिडीह/धनबाद/रामगढ़/जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर रैखिक वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			89196.05	6604.00	95800.05
i	ii	vii	viii	ix	x
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	5	4.460	0.330	4.790
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	5	4.460	0.330	4.790
3	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	3	2.675	0.198	2.873
4	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	5	4.460	0.330	4.790
5	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	5	4.460	0.330	4.790
6	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	5	4.460	0.330	4.790
7	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	5	4.460	0.330	4.790
8	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	3	2.675	0.198	2.873
9	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	5	4.460	0.330	4.790
10	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	3	2.675	0.198	2.873
11	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	5	4.460	0.330	4.790
12	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	2	1.784	0.132	1.916
13	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	10.69	9.535	0.706	10.241
14	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	3	2.675	0.198	2.873
15	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	12	10.704	0.792	11.496
योग :-		76.69	68.403	5.062	73.465

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12191.68	500.00	12691.68
i	ii	vii	viii	ix	x
1	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	305.00	37.185	1.525	38.710
2	सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	60.00	7.315	0.300	7.615
योग :-		365	44.500	1.825	46.325

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनु०-२(क)

**कंटीले तार घेरान के साथ (Multi Row with barbed wire fencing)  
नदी तट पर वृक्षारोपण की प्रति कि०मी० अनुसूचित कार्य दर**

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस :  
रु० 311.33 / -

स्पेसिंग { पंक्ति से पंक्ति की दूरी-3मी०/2मी०  
पौधे से पौधे की दूरी-3मी०/2मी०  
प्रति कि० मी० पौधों की संख्या-6000

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33					
1	एक कोड़नी निकौनी	प्रति कि०मी०	84.00	26151.72	0.00	26151.72
2	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	4104.00	4104.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	120.00	37359.60	0.00	37359.60
4	घेरान को हटाना, सुरक्षित स्थान पर परिवहन एवं भेजना (वित्तीय वर्ष के अन्त में)	प्रति कि०मी०	82.50	25684.73	2500.00	28184.73
योग :-			286.50	89196.05	6604.00	95800.05

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

**वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०**

**योजना का नाम- अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	23.00	7160.59	0.00	7160.59
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	हे०	12.16	3785.77	0.00	3785.77
4	घेरान की मरम्मत	हे०	4.00	1245.32	0.00	1245.32
योग :-			39.16	12191.68	500.00	12691.68

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/490

दिनांक - 24-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28604	DRNFWL013  ASHOK KUMAR DUBEY  DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA  03 - मजदूरी	446,000.00  रुपये चार लाख छयालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28605	GMLFOR001  SRIKANT IFS  D.F.O. GUMLA  03 - मजदूरी	446,000.00  रुपये चार लाख छयालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28606	SDGFOR002  ARVIND KUMAR GUPTA  DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD  03 - मजदूरी	267,500.00  रुपये दो लाख सड़सठ हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये ग्यारह लाख उनसठ हजार पाँच सौ  
क्रमिक योग:

1,159,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28607	LTRFOR001  RAUSHAN KUMAR  DFO FOREST DIV LATEHAR  03 - मजदूरी	446,000.00  रुपये चार लाख छयालीस हजार
5	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28609	PKRFOR001  RAJNISH KUMAR  DIVISIONAL FOREST OFFICER  03 - मजदूरी	446,000.00  रुपये चार लाख छयालीस हजार
6	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28610	GDDFOR164  PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION  03 - मजदूरी	446,000.00  रुपये चार लाख छयालीस हजार

योग: रुपये चौइस लाख सित्तानवे हजार पाँच सौ

क्रमिक योग:

1,338,000.00

2,497,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEW JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28611	JMTFOR001  BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA  03 - मजदूरी	446,000.00 रुपये चार लाख छयालीस हजार
8	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28612	DGRFORE88  RAJ KUMAR SAH  DFO DEO.FOR.DIV.DEO.  03 - मजदूरी	267,500.00 रुपये दो लाख सड़सठ हजार पाँच सौ
9	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28613	DMKFOR010  AVIROOP SINHA  D.F.O.DUMKA  03 - मजदूरी	446,000.00 रुपये चार लाख छयालीस हजार

योग: रुपये छत्तीस लाख सत्तावन हजार

क्रमिक योग:

1,159,500.00

3,657,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28614	HZBFWL009  SOURAV CHANDRA  DIV. FOREST OFFICE EAST  03 - मजदूरी	267,500.00  रुपये दो लाख सड़सठ हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28615	BKRFOR001  ARUN KUMAR SINGH  D F O, BOKARO  03 - मजदूरी	446,000.00  रुपये चार लाख छयालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28616	GRDFOR001  PRAWESH AGRAWAL  DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.  03 - मजदूरी	178,400.00  रुपये एक लाख अठहत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये पैतालीस लाख अडतालीस हजार नौ सौ

891,900.00

क्रमिक योग:

4,548,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28617	DHNFOR001  SRI BIMAL LAKRA  DIVISIONAL FOREST OFFICER  03 - मजदूरी	953,500.00  रुपये नौ लाख तीरपन हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28618	HZBFOR001  DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE  03 - मजदूरी	267,500.00  रुपये दो लाख सड़सठ हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28622	JSRFOR051  MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.  03 - मजदूरी	1,070,400.00  रुपये दस लाख सत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये अडसठ लाख चालीस हजार तीन सौ

2,291,400.00




क्रमिक योग:

6,840,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28623	DMKFOR003  SUSHIL SOREN (I.F.S) रुपये सैतीस लाख अठारह हजार पोंच सौ D.F.O.S.F.DIVDUMKA   03 - मजदूरी	3,718,500.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	28624	SGHFOR001  SRI. MAHALING (I.F.S.) रुपये सात लाख इक्कीस हजार पोंच सौ D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA   03 - मजदूरी	731,500.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28625	DRNFWL013  ASHOK KUMAR DUBEY रुपये तैतीस हजार DFO. RANCHI FORES DIVISION RA   23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड तेरह लाख तेइस हजार तीन सौ

4,483,000.00

क्रमिक योग:

11,323,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCC, DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28626	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00 रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28627	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	19,800.00 रुपये उन्नीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28628	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00 रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड चौदह लाख नौ हजार एक सौ

85,800.00

क्रमिक योग:

11,409,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28629	PKRFOR001  RAJNISH KUMAR  DIVISIONAL FOREST OFFICER  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00  रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28630	GDDFOR164  PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00  रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28631	JMTFOR001  BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00  रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पंद्रह लाख आठ हजार एक सौ

99,000.00

क्रमिक योग:

11,508,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL\_PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28632	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	19,800.00 रुपये उन्नीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28634	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00 रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28636	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	19,800.00 रुपये उन्नीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पंद्रह लाख अस्सी हजार सात सौ

72,600.00

क्रमिक योग:

11,580,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. P.C.C.E. DEV. JHARKHAND

RANCH



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28637	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,000.00 रुपये तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28638	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	13,200.00 रुपये तेरह हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	28643	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	70,600.00 रुपये सत्तर हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड सोलह लाख सित्तानवे हजार पाँच सौ

116,800.00

क्रमिक योग:

11,697,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28644	HZBFOR001  DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	19,800.00  रुपये उन्नीस हजार आठ सौ
32	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28645	JSRFOR051  MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	79,200.00  रुपये उन्नासी हजार दो सौ
33	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय  State Scheme : NA Central Scheme : NA	28646	DMKFOR003  SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	152,500.00  रुपये एक लाख बावन हजार पाँच सौ

योग:

रुपये एक करोड उन्नीस लाख उनचास हजार

251,500.00

क्रमिक योग:

11,949,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110259010323	28647	SGHFOR001	30,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI. MAHALING (I.F.S.)	रुपये तीस हजार
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		D.F.O.SOCIAL	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		FORESTRY DIV.CBSA	
	01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

State Scheme : NA

Central Scheme : NA

योग:

रुपये एक करोड उन्नीस लाख उन्नासी हजार

30,000.00

क्रमिक योग:

11,979,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. BCE DEV. JHARKHAND